



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 03-12-2024

विषय :- टैक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के पत्र संख्या-355/एसएमएफ/2024 दिनांक 12.11.2024 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 में **लेखाशीर्ष-** "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि. /उ.प्र. स्टेट यार्न क.लि./उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कं.लि./उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों के शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान-42-अन्य व्यय" में ₹०-57533.00 लाख (मूल बजट ₹०-38214.00 लाख + अनुपूरक बजट ₹०-19319.00 लाख) का बजट प्राविधान किया गया है।

3- उपरोक्त के क्रम में प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के पत्र संख्या- 280/एसएमएफ/ 2024-25 दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से ₹० 15000.00 लाख (रूपया एक अरब पचास करोड मात्र) की मांग की गई थी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० द्वारा वर्ष 1998-99 में कार्यशील पूँजी हेतु डिबेन्चर बाण्ड के माध्यम से धनराशि प्राप्त की गई थी जिसमें से कुल 45 बाण्ड होल्डर्स को पूर्व में भुगतान नहीं किया जा सका था, के कम में वर्ष 2023-24 में 10 बाण्ड होल्डर्स को एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत सहमति के आधार पर मूल धनराशि एवं 16 बाण्ड होल्डर्स को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 को निर्णय के अनुरूप भुगतान की गई। जबकि 4 बाण्ड होल्डर्स को सहमति के आधार पर दिनांक 12.02.2024 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुरूप भुगतान कर दिया गया है। शेष 15 बाण्ड होल्डर्स जो शासन स्तर पर बैठक में उपस्थित नहीं हुए उन्हें बार-बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी अभी तक Turn-up नहीं हो सके। इनकी देयता मूलधन ₹० 112.50 लाख एवं उक्त मूलधन पर 31.03.2024 तक देय ब्याज की धनराशि ₹० 290.23 लाख कुल ₹० 402.73 लाख का प्रावधान किया गया है। जैसे-जैसे इन बाण्ड होल्डर्स द्वारा धनराशि का क्लेम किया जाएगा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है और यह धनराशि बाण्ड होल्डर्स के भुगतान हेतु आरक्षित रहेगी।

2. उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० कानपुर की सदस्य कताई मिलों की स्थापना के समय सहकारी समितियों एवं अन्य से अंश पूँजी एकत्र करने के लिए अंश प्रपत्र जारी किये गये। मिलों की बेलेंश सीट के अनुसार उक्त अंश प्रपत्र के मद में मिलवार देयता का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	सदस्य इकाई	धनराशि (₹० में)
1.	अमरोहा	365390.00
2.	बहादुरगंज, गाजीपुर	29401.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.	बहेड़ी, बरेली	62700.00
4.	मगहर, संत कबीर नगर	10059.00
5.	कम्पिल, फर्रुखाबाद	63300.00
6.	बुलन्दशहर	4148283.14
7.	नगीना, बिजनौर	1310419.61
8.	महमूदाबाद, सीतापुर	56900.00
9.	इटावा	2774648.42
	योग:	8821101.17

उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० की सदस्य कताई मिलों के अंशधारकों के भुगतान हेतु ₹० 88.00 लाख की आवश्यकता है जो कि मांग की गई है एवं इनका भुगतान अंश धारकों द्वारा क्लेम करने पर किया जाना प्रस्तावित है।

3. उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० एवं इसकी सदस्य कताई मिलों के अन्य देयों यथा स्टोर्स एवं कच्चे माल की खरीद का बकाया, सिक्योरिटी डिपोजिट एवं अन्य मदों के बकाया हेतु ₹० 25507.00 लाख की देयता जो संघ के परिचालन के समय से बकाया है। संघ की सदस्य कताई मिलें वर्ष 2000 से 2010 के मध्य बन्द हो गई है। परन्तु उक्त बकाये के सापेक्ष दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से लेनदारों से आवश्यक विवरण सहित क्लेम उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया इसके क्रम में कई लेनदारों द्वारा क्लेम किये जा रहे हैं जिसके लिए आंशिक धनराशि की मांग की गई है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा क्लेम न किये जाने की स्थिति में यह धनराशि आरक्षित रहेगी।

प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० कानपुर द्वारा उपर्युक्त विवरण के अनुसार ₹० 15000.00 लाख (रूपया अरब पचास करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹०-57533.00 लाख के सापेक्ष उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया देयों हेतु धनराशि ₹०-15000.00 लाख (रूपया एक अरब पचास करोड मात्र) निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जा रही उपरोक्त धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा आहरित कर उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
- (4) कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2025 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को भेजी जाए।
- (6) उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और मानीटरिंग भी करेंगे।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (8) धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
- (9) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ०प्र० कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
- (10) प्रकरण में राजस्व सम्बन्धी नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास विभाग के सुसंगत नियमों तथा विधि व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Negotiation के क्रम में भुगतान से पूर्व बैंकों तथा बाण्ड होल्डर्स संस्थाओं/कम्पनियों के सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत सहमति पत्र प्राप्त हो गयी है।
- (12) प्रश्रुत शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया देयताओं सम्बन्धी अन्तिमीकृत धनराशि के सम्बन्ध में Book of Accounts/financial Statements आदि के माध्यम से संतुष्ट होते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस सम्बन्ध में due diligence कर लिया गया है।
- (13) अशासकीय देयताओं के सम्बन्ध में विभिन्न stakeholders को किये जाने वाले भुगतान के पूर्व यदि प्रकरण न्यायालय/ट्रिब्यूनल आदि में है तो सम्बन्धित द्वारा वापस ले लिया जाये तथा जो सम्पत्ति liquidation में है उसे प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
- (14) यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्तानुसार की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संगत अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा इनमें कोई विधिक अड़चन नहीं है।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 15000.00 लाख (रूपया एक अरब पचास करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000942 के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या- 27(1)/2024/77-1099/66/2022/001-866, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
- 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- 6- वित्त अधिकारी, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।